

बिहार सरकार
कृषि विभाग,

पत्र संख्या:-3/कृ०बजट आवंटन-23/2013
प्रेषक,

86 (आवंटन)

/कृ०, पटना दिनांक-06-08-2013

Tax/Mail

सेवा में,

रामजी-सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (पौधा संरक्षण) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (सूचना) बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, पटना/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सहरसा/भागलपुर/गया/सारण/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/ भोजपुर/ बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभूआ)/गया/ जहानाबाद/ अरवल/नवादा/ औरंगाबाद/भागलपुर/बांका/मुंगेर/जमुई/लखीसराय/शेखपुरा/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली(हाजीपुर)/सीतामढ़ी/शिवहर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/खगड़िया/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/ कटिहार।

विशय :-

तेलहन, दलहन, ऑयलपॉम एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम) का वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए कुल 1191.596 लाख रु० (केन्द्रांश 894.197 लाख रु० एवं राज्यांश 297.399 लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन, भारत सरकार से अतिरिक्त योजना आकार प्राप्त होने पर इस कार्यक्रम के आकार के अनुसार सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, दलहन, तेलहन, तथा मक्का के बीज पर केन्द्र प्रायोजित योजना में अनुमान्य अनुदान 1200 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्यांश मद से 800 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति तथा केन्द्रांश मद में भारत सरकार से पुनर्वैधिकरण/विमुक्ति की प्रत्याशा में राशि के व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹4,05,14,264 (चार करोड़ पाँच लाख चौदह हजार दो सौ चौसठ रु० मात्र) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश सं०-2722, दिनांक-24.05.2013 द्वारा तेलहन, दलहन, ऑयलपॉम एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम) का वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए कुल 1191.596 लाख रु० (केन्द्रांश 894.197 लाख रु० एवं राज्यांश 297.399 लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन, भारत सरकार से अतिरिक्त योजना आकार प्राप्त होने पर इस कार्यक्रम के आकार के अनुसार सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, दलहन, तेलहन, तथा मक्का के बीज पर केन्द्र प्रायोजित योजना में अनुमान्य अनुदान 1200 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्यांश मद से 800 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति तथा केन्द्रांश मद में भारत सरकार से पुनर्वैधिकरण/विमुक्ति की प्रत्याशा में राशि के व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-37 (आवंटन) दिनांक-06.06.2013 द्वारा ₹7,86,45,336 (केन्द्रांश-₹5,90,17,002 एवं राज्यांश-₹1,96,28,334) की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस स्वीकृत राशि में से शेष व्यय हेतु कुल ₹4,05,14,264 (चार करोड़ पाँच लाख चौदह हजार दो सौ चौसठ रु० मात्र) संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹4,05,14,264 (चार करोड़ पाँच लाख चौदह हजार दो सौ चौसठ रु० मात्र) में से केन्द्रांश-₹3,04,02,698 (तीन करोड़ चार लाख दो हजार छः सौ अन्तानवे रु० मात्र) का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-केन्द्रीय प्रायोजित, योजना-लघु शीर्ष-108-वाणिज्यिक फसलें-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0615-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयलसीड, पल्सेज, ऑयलपाम एण्ड मेज (आइसोपोम 75:25) नई योजना, विपत्र कोड-C-2401001080615, योजना आयोग, स्कीम कोड-AGR-0049 विषयशीर्ष 33 01-सब्सिडी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 1800.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹4,05,14,264 (चार करोड़ पाँच लाख चौदह हजार दो सौ चौसठ रु० मात्र) में से राज्यांश-₹1,01,11,566 (एक करोड़ एक लाख ग्यारह हजार पाँच सौ छियासठ रु० मात्र) का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-राज्य योजना-लघु शीर्ष-108-वाणिज्यिक फसलें-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0114-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयलसीड, पल्सेज, ऑयलपाम एण्ड मेज (आइसोपोम 25:75) नई योजना, विपत्र कोड-P-2401001080114, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 19- विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 600.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं

सुभा

व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहरस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(15/07/13)
(समजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

86 (आवटन)

/कृ०, पटना दिनांक 06-08-2012

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

86 (आवटन)

/कृ०, पटना दिनांक- 06-08-2012

प्रतिलिपि- विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव, कृषि विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आईसोपोम, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल हेतु करने प्रेषित।

सुभा

सरकार के संयुक्त सचिव।

(15/07/13)

